राजस्व वाद संख्या 26 / 2025
GCMS NO. 2025 / 145
मोहनलाल वगै0 बनाम लिछमण वगै0
आदेश दिनांक 01.10.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुमन देवी
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 26 / 2025

GCMS No. 2025 / 145

1. मोहनलाल पुत्र दुर्गाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. मुकेश कुमार पुत्र दुर्गाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. मूलचंद पुत्र दुर्गाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. गोरा देवी पत्नी दुर्गाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. मंजू देवी पुत्री दुर्गाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
6. मीरा पुत्री दुर्गाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. लिछमण पुत्र नन्दाराम जाति कुम्हार (प्रजापत) निवासी मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
3. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार मलसीसर।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

वकील प्रार्थी – श्री जयसिंह गौड़
वकील अप्रार्थी–

निर्णय

दिनांक 01.10.2025

संक्षेप मे आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मलसीसर पटवार हल्का मलसीसर की सरहद में भूमि ख0न0 1215 / 143, 1283 / 147, 147 कुल किता 3 कुल रकबा 2.73 है0 भूमि अवस्थित है। उक्त भूमि आवेदकगण की खातेदारी काश्तकार की भूमि है। आवेदकगण अपनी भूमि में आने जाने

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

के लिये गै0मु0 रास्ता ख0न0 150 से भूमि ख0न0 1214/147 रकबा 0.89 है0 की सीमा के सहारे–सहारे से होते हुये नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू ए से बी तक अपने खेत ख0न0 147 में आवागमन करते है। आवेदकगण के पास अपने खेत में जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है इसलिये आवेदकगण को नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू ए से बी 16 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करवाना चाहते है। आवेदकगण उक्त रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि या डी.एल.सी. की दुगुनी किमत/राशि का भुगतान करने के लिये तैयार है। आवेदकगण को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदकगण को अपनी भूमि खेत ख0न0 147 रकबा 2.54 है0 में आने–जाने के लिये अनावेदक संख्या 1 के खेत ख0न0 1214/147 रकबा 0.89 है0 में नजरी नक्शे में दर्शाये बिन्दु ए से बी तक 16 फुट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में रास्ता अकंन किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार बिसाऊ से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने रास्ते की सहमती प्रदान करने पर 14 फुट चोड़ा रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता आवेदकगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये मुताबिक अप्रार्थी संख्या 1 के साथ हुई सहमती के आधार पर 14 फुट रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 1 रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर रास्ता दिये जाने में सहमत है। आवेदक व अनावेदकगण की ओर से कायम किया जाने वाला रास्ता व रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि का प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सींमाकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लधुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 147 में आने जाने हेतु खेत ख0न0 1214/147 में से प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार मार्क ए से बी 16 फुट चौड़ा रास्ता चाहा गया है। अप्रार्थी संख्या 1 रास्ते में आने वाली भूमि के बदले भूमि दिये जाने पर 14 फुट चौड़ा रास्ता दिये जाने में सहमत है। तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है। अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। आवेदक व अनावेदकगण की ओर से कायम किया जाने वाला रास्ता व रास्ते में आने वाली भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि का प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया है जिस पर दोनो पक्षकार सहमत है। इसलिये दोनो पक्षों की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण को खेत खसरा नम्बर 147 में आने–जाने के लिये ख0न0 1214/147 में से तहसीलदार मलसीसर से प्राप्त रिपोर्ट में सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने तथा रिपोर्ट के अनुसार रास्ते में आने वाली 340 वर्गमीटर भूमि के बदले आवेदकगण की खातेदारी भूमि में से 340 वर्गमीटर भूमि अनावेदक संख्या 1 के नाम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। नजरी नक्शा आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन देवी)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर